राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 2492-To-2498 K दिनांकः– 17-01-2022

अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयंपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर,
उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर।

विषयः– राजस्थान राज्य के पेंशनर को बैंक के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से पेंशन भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार से प्राप्त निर्देशो के अनुसार सभी पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन, पारिवारिक पेंशन, संशोधित पेंशन, अधिकृतियो के भुगतान की प्रक्रिया हेतु इस कार्यालय के पत्रांक निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गये है, जिनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश की प्रति आपको ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दी गई हैः–

1. वर्तमान में 9 बैंको के माध्यम से पेंशन भुगतान किया जा रहा था। बैंकों के पेंशन वितरण का कार्य राज्य सरकार के स्तर से किये जाने के उपरान्त सभी 19 शेड्यूल बैंको में पेंशनर के खाते रखने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। अतः सभी शेड्यूल बैंको में खातो में पेंशन भुगतान की सुविधा दी जावें।
2. राजस्थान राज्य के पेंशनर जो अभी राज्य से बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनका भुगतान भी भविष्य में राज्य सरकार के पे–मैनेजर के माध्यम से किया जाना है। अभी तक राज्य से बाहर पेंशन भुगतान हेतु अधिकृतियां जारी की जाती रही है। भविष्य में ऐसी अधिकृतियां भुगतान हेतु केवल केन्द्रीयकृत पेंशन भुगतान अधिकृति निदेशालय को प्रेषित की जानी है, इस हेतु मॉड्यूल बनाया जा रहा है। अतः राज्य से बाहर से पेंशन लेने के इच्छुक कर्मचारियो के बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम व पता, आई.एफ.एस.सी. कोड, आधार न., मोबाईल न., ई–मेल आई.डी., तथा पेन न., तथा की जानकारी पेंशन अधिकृतियां जारी करने से पूर्व ली जानी आवश्यक है, तथा पेंशन मॉड्यूल बनने में लग रहे समय को देखते हुए, अंतरिम व्यवस्था के आधार पर पेंशन अधिकृति कर्मचारी के वर्तमान आहरण वितरण अधिकारी के कोषाधिकारी के नाम जारी की जावेंगी। कोषाधिकारी द्वारा जीपीओ / सीपीओ का भुगतान पेंशनर द्वारा दिये गये बैंक खाते में किया जावेगा तथा पेंशन का नियमित भुगतान सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग निदेशालय पेंशन विभाग द्वारा किया जावेगा।

3. इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 2181–2280–K दिनांक 03.01.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया था कि, भविष्य में पेंशन/ग्रेच्यूटी/कम्यूटेशन अधिकृतियों का भुगतान पेंशनर की उपस्थिति के बिना किया जाना है, जिसके लिए पेंशन कुलक में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के मोबाईल न., आधार न. (मय प्रति), पेन न. (मय प्रति) ई–मेल आई डी., एव बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, आई.एफ.एस. सी. कोड एवं खाता संख्या पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या केंसिल्ड चेक के साथ उपलब्ध करावें तथा विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की गई है कि राजस्थान (सिविल सेवा) पेंशन नियम 1996 के नियम 84 के प्रावधानो के अनुसार पेंशन दस्तावेजों को अग्रेषित करने के पश्चात् कोई ऐसी घटना हो जाती है, जिसका स्वीकार्य पेंशन की राशि पर अथवा अस्थाई अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दिये गये आंकडो पर प्रभाव पडता है एवं जिसके कारण पीपीओ/जीपीओ/सीपीओ परिवर्तित/ निरस्त करने पडेगे तो ऐसी घटना यथा कर्मचारी के विरूद्व जाँच प्रारम्भ करना पेंशन दस्तावेज अग्रेषित करने के पश्चात् की गई सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में स्वीकार नहीं करना एवं कर्मचारी की मृत्यु की सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पाबंद किया जावे ताकि पेंशन परिलाभों का भुगतान कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में सही दावेदार को समय पर मिल सके। इस कार्यालय के पत्रांक 2095–2101–K दिनांक 03.01.2022 द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालय को भी निर्देशित किया गया है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के मोबाईल न., आधार न. (मय प्रति), पेन न. (मय प्रति) ई–मेल आई डी., एव बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या केंसिल्ड चेक के साथ उपलब्ध करावें, की जानकारी पेंशन कुलक के साथ ही ली जावें ताकि उसी खाता संख्या में पेंशन का भुगतान किया जाना संभव हो सके।

उक्त व्यक्तिगत सूचनाओं का समावेश डेस्क्रपटिव रॉल में किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु डेस्क्रपटिव रॉल में स्पेस का प्रावधान एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है।

कृपया उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/302

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005

ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687

वेबसाईट:– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 2181–2290K दिनांक:–
03-01-2022

विभागाध्यक्ष

समस्त।

विषय:– बैंको के स्थान पर इस विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण हेतु अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर 2021 से पेंशन वितरण का कार्य राष्ट्रीकृत बैंको के स्थान पर रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से निदेशालय पेंशन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस अनुभाग द्वारा पेंशनर्स को पेंशन स्लिप, आयकर कटौती फार्म–16 एवं अन्य सूचनाऐं पेंशनर / पारिवारिक पेंशन को सीधे ही मोबाईल / ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी इसके अतिरिक्त ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियों का भुगतान भी शीघ्र ही इस अनुभाग द्वारा पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना चालू किया जावेगा। अतः इस संबंध में मोड्यूल / पोर्टल पर शीघ्र ही आवश्यक सुविधा प्रदान की जावेगी ताकि पेंशनर द्वारा ऑनलाईन जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके। पेंशन परिलाभों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के एवं बिना पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की उपस्थिति के बिना किये जाने के लिये कुछ सूचनाओ का पूर्व में ही इस विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियो / अधिकारियो के पेंशन कुलक में तथा जिन कर्मचारियों के सेवानिवृति से पूर्व अग्रिम रूप से पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी है, उनकी निम्नलिखित सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर का मोबाईल न.
2. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के पेन न. मय प्रति
3. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर आधार न. मय प्रति
4. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर की ई–मेल आई.डी
5. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम / शाखा का नाम / आई. एफ.एस.सी. कोड / खाता संख्या) बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न करावें।

ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन राशि का भुगतान पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति एवं पहचान के बिना किया जाना है। अतः कृपया यह भी सुनिश्चित किया जावें की राजस्थान (सिविल सेवा)

पेंशन नियम –1996 के नियम 84 के प्रावधानो के अनुसार पेंशन दस्तावेजो को अग्रेषित करने के बाद कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिसका स्वीकार्य पेंशन की राशि पर अथवा अस्थाई अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में दिये गये आंकडों पर प्रभाव पडता है एवं जिनके कारण पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ परिवर्तित/निरस्त करने पडेंगे, तो ऐसी घटना (यथा कर्मचारी के विरूद्व विभागीय जाँच प्रारम्भ करना, पेंशन दस्तावेज अग्रेषित करने के पश्चात् की गई अर्हकारी सेवा के रूप में स्वीकार नही करना एवं कर्मचारी की मृत्यु) की सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयध्यक्षों को पाबंद किया जावें ताकि पेंशन परिलाभो का भुगतान कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में भी सही दावेदार को समय पर मिल सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक